उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (बीमा) अनुभाग

संख्या बीमा 1614/दस-81

लखनऊ, दिनांक, 21 दिसम्बर, 1981

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ने सरकारी सेवकों पर दिनांक 1 मार्च, 1980 से लागू की गई सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के कार्यान्वयन हेतु "राज्य कमचारी सामूहिक बीमा योजना निधि" के सृजन किये जाने का आदेश प्रदान किया है। तद्नुसार निधि की स्थापना 1-3-1980 से की जा चकी है और इस निधि के संचालनार्थ बनाई नियमावली की एक प्रति सचनार्थ संलग्न है।

ज० एल० वजाज,
सचिव।

संख्या बीमा-1614(1)/दस-81

प्रतिलिपि (संलग्नक की प्रति सहित) निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हतु प्रेषितः--

(1) समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-1, इलाहाबाद।

(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(4) विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय तथा श्री राज्यपाल का सचिवालय।

आज्ञा से,
शिव शंकर लाल भटनागर,
विशेष कार्याधिकारी।

राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि नियमावली, 1980

निधि का नाम — यह निधि "राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि" कहलाएगी ।

निधि के प्रभावी होने की तिथि — यह निधि दिनांक 1 मार्च, 1980 से प्रभावी होगी ।

निधि का प्रशासन — उक्त निधि सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत वित्त विभाग के किसी अधिकारी द्वारा प्रशासित होगी ।

निधि की राशि — इस निधि में समस्त सरकारी सेवकों से प्राप्त होने वाला मासिक अभिदान शासन द्वारा दिया जाने वाला मासिक अंशदान तथा जमा धनराशि पर शासन द्वारा देय ब्याज की धनराशि सम्मिलित रहेगी ।

निधि का उद्देश्य — निधि का सृजन सेवाकाल के दौरान मृत राज्य कमचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना तथा सेवा-निवृत्त होने और सेवा से अन्यथा पृथक् होने की दशा में सरकारी सेवक द्वारा दिये गये अभिदान में से बचत खाते में जमा धनराशि का ब्याज सहित भुगतान करना है ।

निधि के लेन-देनों का वर्गीकरण — राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि राज्य सरकार के लोक लेखा के सेक्शन "अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि खण्ड (ग) अन्य लेखे" के अधीन लेखा शीषक "811–बीमा और पेंशन निधियां–क–राज्य सरकारी बीमा निधि" के अन्तर्गत स्थापित की जायेगी । इस निधि के प्राप्ति पक्ष में निम्नलिखित लेखा शीर्षकों से धनराशियों का संक्रमण किया जायेगा:––

(1) "288–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण–आयोजनेतर–अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम–अन्य बीमा योजनाएं–राज्य सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि को संक्रमण–अन्तर्लेखा संक्रमण"

(2) "288–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण–आयोजनेतर–अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम–अन्य बीमा योजनाएं–कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता"

(3) "249–ब्याज का भुगतान–आयोजनेतर–ख–अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज–बीमा तथा पेंशन निधियों पर ब्याज–राज्य सरकार बीमा निधि पर ब्याज–कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर ब्याज (भारित)"

ऊपर क्रमशः संख्या (1) और (2) पर उल्लिखित संक्रमणों से संबंधित धनराशियों का क्रेडिट पुलिस विभाग के लिए और अन्य समस्त विभागों के लिये अलग-अलग प्रदर्शित किया जायेगा । इसी प्रकार लेखा शीर्षक "811" के अन्तर्गत संवितरण पक्ष में भुगतानों को भी पुलिस विभाग के लिए तथा अन्य समस्त विभागों के लिए अलग-अलग दिखाया जायेगा ।

(2) विभागीय स्तर पर उक्त निधि के दो भाग होंगे–(1) रिस्क खाता तथा (2) बचत खाता । सरकारी सेवकों से प्राप्त होने वाली धनराशि में से एक निर्धारित अंश रिस्क खाते (रिस्क फण्ड) में क्रेडिट होगा और शेष धनराशि बचत खाते में जमा होगी शासकीय अंशदान की धनराशि विभागीय स्तर पर रिस्क खाते में जमा होगी और सरकारी सेवकों के अभिदान से रिस्क खाते में जमा धनराशि इस सीमा तक कम करके बचत खाते में तदनुरूप वृद्धि कर दी जायेगी । सेवारत मृत्यु की दशा में मृतक सेवक के परिवार को बीमा धनराशि का भुगतान रिस्क खाते से होगा । सेविंग खाते में जमा धनराशि ब्याज सहित सेवामुक्त/सेवानिवृत्त होने पर सरकारी सेवक को (अथवा सेवारत मृत की दशा में उनके परिवार को) वापस की जायेगी । बचत खाते में ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित रहेगी ।

निधि के लेखे का रख-रखाव — सरकारी सेवकों से प्राप्त मासिक अभिदान का प्रारम्भिक लेखा संबंधित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा रखा जायेगा । रिस्क फण्ड तथा बचत फण्ड में से भुगतान की जाने वाली धनराशियों तथा इन खाते में जमा रहने वाली धनराशियों का लेखा-जोखा निदेशक, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ द्वारा रखा जायेगा । निधि के लेखों का समग्र रूप से रख-रखाव महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–1, इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा ।

पी0एस0(यू0पी0–ए0पी0 196 सा0 वित्त––22–12–81–(3088)–1982–12,000 (हिन्दी)